संख्या–2881 / उन्तीस(2) / 17–2(74 पे0) / 2007

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 01 दिसम्बर, 2018

विषय :– ग्रीष्मऋतु में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु टैंकर / खच्चर / जनरेटर के संचालन हेतु अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 6159 / वि0अनु0 / 02 / शा0 अनु0– / 2018–19, दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्रीष्मऋतु में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु टैंकर / खच्चर / जनरेटर के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–714 / उन्तीस(2) / 18–2(74 पे0) / 2007, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा अवमुक्त कुल रू0 400.00 लाख के क्रम में वर्तमान में कुल रू0 126.80 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(v) व्यय करने से पूर्व उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

.....2

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–12–ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर/खच्चर/जनरेटर–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या–H1812131843दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017 /XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 तथा शासनादेश संख्या–1432/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 में निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या– 2881 (1)/उन्तीस(2)/17–2(74 पे0)/2007, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।